DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

29 July, 2024

भूल जाने का अधिकार

संदर्भ: *पिछले सप्ताह, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जो संभवतः भारत में "भूल जाने के अधिकार" (या यूरोपीय गोपनीयता विनियमन में "मिटाने का अधिकार") को आकार देगा।*

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि भूल जाने का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है या नहीं और इसका अन्य संवैधानिक अधिकारों से क्या संबंध है।
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई करेगी।
- यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उसका नाम भारतीय कानून कानूनी पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से सुलभ निर्णय में दिखाई दिया था।

भूल जाने का अधिकार क्या है?

- भूल जाने का अधिकार व्यक्तियों को उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले डिजिटल पदचिह्नों को हटाने की अनुमति देता है।
- ध्यातव्य है, कि यूरोपीय न्यायालय ने 2014 में मारियो कॉस्टेजा गोंजालेज के पक्ष में इस अधिकार की पुष्टि की, जिन्होंने Google से उनके बारे में पुरानी जानकारी हटाने के लिए कहा था।

भारत में भूल जाने का अधिकार

- भारत में भूल जाने के अधिकार के लिए वैधानिक ढांचे का अभाव है।
- 2017 के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के फैसले ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिसमें भूल जाने का अधिकार भी शामिल है।
- न्यायमूर्ति एस.के. कौल के अनुसार व्यक्तियों को अनावश्यक, अप्रासंगिक या गलत व्यक्तिगत डेटा को हटाने में सक्षम होना चाहिए।

भूल जाने के अधिकार पर न्यायालय के निर्णय:

- **राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार और सार्वजनिक अभिलेखों के प्रकाशन के बीच अंतर किया।
- **धर्मराज भानुशंकर दवे बनाम गुजरात राज्य (2017):** गुजरात उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रिकॉर्ड से बरी किए जाने के विवरण को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
- **[नाम संशोधित] बनाम रजिस्ट्रार जनरल (2017)**: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निरस्तीकरण मामले में याचिकाकर्ता के नाम की रक्षा की।
- **जोरावर सिंह मुंडी (2021)**: दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सामाजिक जीवन और कैरियर की संभावनाओं की रक्षा के लिए खोज परिणामों से आपराधिक मामले के फैसले को हटाने की अनुमति दी।
- **उड़ीसा उच्च न्यायालय (2020):** "बदला पोर्न" से जुड़े मामलों में भूल जाने के अधिकार को लागू करने पर बहस और स्पष्टता की आवश्यकता को संबोधित किया।

गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार के कदम

आधार अधिनियम (2016):

- भारतीय निवासियों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली की स्थापना की।
- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रावधान शामिल हैं, व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सहमति की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (2019):

- भारत में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए पेश किया गया।
- आंकड़ों की गोपनीयता, डेटा स्थानीयकरण और भूल जाने के अधिकार पर प्रावधान शामिल हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013):

- साइबर खतरों से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के उद्देश्य से।
- भारत में साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000):

- इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डेटा की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर जोर देते हैं।

राज्यपालों की नियुक्ति

संदर्भ*: शनिवार, 28 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की।*

राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति

- भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
- **अनुच्छेद 153**: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल को अनिवार्य बनाता है; एक व्यक्ति को कई राज्यों का राज्यपाल बनने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 155**: राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा करते हैं।
- **अनुच्छेद 156**: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं, जिसका मानक कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर उन्हें इससे पहले भी हटाया जा सकता है।

राज्यों के राज्यपालों के लिए योग्यताएँ

अनुच्छेद 157 और 158:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए।
- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, तथा किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच संबंध

भूमिका और शक्तियाँ:

- राज्यपालों को राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले गैर-राजनीतिक प्रमुख माना जाता है।
- **अनुच्छेद 163:** राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ संविधान द्वारा विवेक की आवश्यकता होती है।
- राज्यपाल विधेयकों को स्वीकार या रोक सकते हैं, विधानसभा में किसी पार्टी के बहुमत साबित करने के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, तथा यह तय कर सकते हैं कि किसी अनिश्चित निर्णय की स्थिति में किस पार्टी को पहले बुलाया जाए।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

➢ **तनाव और मुद्दे:**

- राज्यपालों को अक्सर केंद्र सरकार की ओर से कार्य करते हुए देखा गया है, जिसके कारण विपक्षी राज्य सरकारों द्वारा उन पर "केंद्र के एजेंट" होने का आरोप लगाया जाता है।
- असहमति के मामले में राज्यपाल और राज्य के बीच सार्वजनिक सहभागिता के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है, जो परंपरागत रूप से आपसी सम्मान द्वारा निर्देशित है।
- संघर्ष के हालिया उदाहरणों में आर.एन. रवि और आरिफ मोहम्मद खान को क्रमशः तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया।

पूंजीगत लाभ कर

***संदर्भ**: दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (LTCG) वर्तमान कर व्यवस्था में इंडेक्सेशन लाभ को वापस लेना 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक बन गया है।*

भारत में पूंजीगत लाभ कर

➢ **परिभाषा:**

- 'पूंजीगत संपत्ति' की बिक्री से होने वाले लाभ या लाभ को 'पूंजीगत लाभ से आय' के रूप में जाना जाता है।
- पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के वर्ष में कर योग्य।
- **प्रकार**: अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG)।

पूंजीगत संपत्तियों को परिभाषित करना

➢ **पूंजीगत संपत्तियों के उदाहरण:**

- भूमि, भवन, गृह संपत्ति, वाहन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीजहोल्ड अधिकार, मशीनरी, आभूषण।
- इसमें भारतीय कंपनी में या उससे संबंधित अधिकार और प्रबंधन या नियंत्रण के अधिकार शामिल हैं।

➢ **पूंजीगत संपत्तियों से बहिष्करण:**

- व्यवसाय या पेशे के लिए स्टॉक, उपभोग्य वस्तुएं या कच्चा माल।
- कपड़े और फर्नीचर जैसे व्यक्तिगत सामान।
- ग्रामीण भारत में कृषि भूमि।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए विशिष्ट बॉन्ड (जैसे, 6½% गोल्ड बॉन्ड (1977), 7% गोल्ड बॉन्ड (1980))।
- गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड (1999) या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (2015, 2019) के तहत सर्टिफिकेट।

➢ **ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा (वित्त वर्ष 2014-15 से प्रभावी)**

- 10,000 या उससे अधिक की आबादी वाला नगरपालिका या छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र।

➢ **दूरी मानदंड:**

- < 2 किमी: जनसंख्या > 10,000
- 2-6 किमी: जनसंख्या > 1,00,000
- 6-8 किमी: जनसंख्या > 10,00,000

पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रकार

➢ **अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति (एसटीसीए):**

- 36 महीने या उससे कम समय के लिए रखी गई।
- गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अचल संपत्तियों के लिए होल्डिंग अवधि घटाकर 24 महीने कर दी गई।
- इक्विटी या वरीयता शेयर, सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, यूटीआई इकाइयाँ, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयाँ, शून्य-कूपन बॉन्ड (10 जुलाई 2014 के बाद) के लिए 12 महीने या उससे कम।

➢ **दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति (LTCA):**

- 36 महीने से अधिक समय तक धारित।
- भूमि, भवन और गृह संपत्ति के लिए 24 महीने की धारण अवधि (वित्त वर्ष 2017-18 के बाद)।
- इक्विटी या वरीयता शेयर, सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, यूटीआई इकाइयाँ, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयाँ, शून्य-कूपन बॉन्ड के लिए 12 महीने या उससे अधिक।

➢ **विशिष्ट परिसंपत्तियों से पूंजीगत लाभ**

- **1 अप्रैल, 2023 से:** निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़े डिबेंचर की इकाइयों की बिक्री को हमेशा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा।

➢ **विरासत में मिली पूंजीगत परिसंपत्ति वर्गीकरण**

- पिछले मालिक द्वारा धारित अवधि को यह निर्धारित करने के लिए शामिल किया गया है कि यह अल्पकालिक है या दीर्घकालिक।
- बोनस शेयर या राइट्स शेयर के लिए, अवधि आवंटन की तारीख से शुरू होती है।

➢ **बजट 2024 में अपडेट**

- अब संपत्तियों को 12 महीने या 24 महीने की होल्डिंग अवधि के साथ वर्गीकृत किया गया है; 36 महीने की अवधि को हटा दिया गया है।
- सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए 12 महीने की होल्डिंग अवधि की आवश्यकता होती है, जो कि दीर्घकालिक होती है; अन्य संपत्तियों के लिए 24 महीने की आवश्यकता होती है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड और व्यावसायिक ट्रस्टों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) पर 15% से बढ़कर 20% कर लगाया जाता है। अन्य संपत्तियों पर STCG स्लैब दरों पर बना हुआ है।
- इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड और व्यावसायिक ट्रस्टों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) छूट सीमा बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है, लेकिन कर की दर 10% से बढ़कर 12.5% हो गई है।
- 1.25 लाख रुपये की छूट सीमा पूरे वर्ष के लिए लागू होती है; 12.5% कर की दर 23 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गई है। अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए LTCG कर की दर 23 जुलाई, 2024 के बाद बिक्री के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ 12.5% तक कम हो गई है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

बन्नेरुगट्टा जैविक उद्यान

हाल ही में, बेंगलुरू के बन्नेरूघट्टा जैविक उद्यान के अंदर भारत में अपनी तरह का पहला तितली पार्क बनाया गया है, जो विदेशी तितलियों के लिए घर के रूप में एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है।

बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बेंगलुरू के दक्षिण में अनेकल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में स्थित है।
- इसकी स्थापना 1940 में हुई और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- सुवर्णमुखी नदी की धारा पार्क के केंद्र से होकर बहती है और यह पशुओं के लिए प्राथमिक जल स्रोत है।
- 2002 में, पार्क का एक हिस्सा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बन गया, जो भारत का पहला जैविक उद्यान है जिसमें एक बाड़ से घिरा हुआ हाथी अभयारण्य है।
- **वनस्पति**: पार्क में नार्सिसस लतीफोलिया, श्लेषेरा ओलेसा, चंदन, इमली, नीलगिरी आदि विविध वनस्पति है।
- **जीव-जंतु**: पार्क विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रमुख निवास स्थान है, जिसमें संकटग्रस्त एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव जैसे सांभर हिरण, स्लॉथ भालू और पेंगोलिन शामिल हैं।

लोक अदालत

सुप्रीम कोर्ट आज 29 जुलाई से अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष लोक अदालत सप्ताह आयोजित करेगा।

लोक अदालत के बारे में:

- लोक अदालत, जिसे जन अदालत भी कहा जाता है, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जो अदालत में मामलों को निपटाने या मुकदमेबाजी से पहले विवादों को सुलझाने में मदद करता है।
- यह भारत की न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है और सरल और न्यायपूर्ण तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए है।
- लोक अदालत का उपयोग लंबित न्यायिक मामलों, संभावित विवादों, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और पारिवारिक विवादों के लिए अनिवार्य प्रीलिटिगेशन के लिए किया जा सकता है।
- इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- लोक अदालतों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें नियमित लोक अदालतें और दैनिक लोक अदालतें शामिल हैं।
- पहली लोक अदालत शिविर का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था।
- लोक अदालत के पास सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत सिविल कोर्ट की तरह ही अधिकार होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

शिक्षा मंत्रालय आज 29 जुलाई को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम (ABSS), 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के कार्यान्वयन की चौथी वर्षगांठ मनाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 की जगह लेती है।
- इसका उद्देश्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना है, जो इसे अधिक समग्र, लचीला और बहु-विषयक बनाने पर केंद्रित है।
- यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के साथ शिक्षा को संरेखित करने और प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को बाहर लाने की कोशिश करता है।
- इसमें 5+3+3+4 डिज़ाइन के नए पाठ्यक्रम संरचना का परिचय दिया गया है, जो 3-8 वर्ष (आधारभूत स्तर), 8-11 वर्ष (तैयारी स्तर), 11-14 वर्ष (मध्य स्तर), और 14-18 वर्ष (माध्यमिक स्तर) के उम्र समूहों के लिए है।
- शिक्षक शिक्षा में 2030 तक न्यूनतम 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री की शिफ्ट और शिक्षकों के लिए सतत पेशेवर विकास पर जोर दिया गया है।
- बहुभाषावाद पर जोर देते हुए, मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग पांचवी कक्षा तक और अधिमानतः आठवीं कक्षा और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया है।

सुर्खियों में स्थल

लातविया

हाल ही में, भारत ने रिगा, लातविया में नया रेसीडेंट मिशन स्थापित किया है जिससे भारत के कूटनीतिक पदचिह्न का विस्तार होगा और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

लातविया (राजधानी: रिगा):

- **स्थिति**: लातविया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है।
- **सीमाएं**: लातविया की सीमाएं रूस (पूर्व), एस्टोनिया (उत्तर), लिथुआनिया (दक्षिण) और बेलारूस (दक्षिण-पूर्व) से मिलती हैं।
- यह बाल्टिक सागर और रिगा की खाड़ी के साथ अपनी समुद्री सीमाएं भी साझा करता है।
- **भौतिक विशेषताएं**: लातविया में सबसे ऊंचा स्थान गाइज़िनकाल्न्स है।
- लातविया में प्रमुख नदियाँ डौगावा, गौजा, लीलुपे, वेंटा और सालाका हैं।
- लातविया में समशीतोष्ण जलवायु है।
- **सदस्यता**: लातविया यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और शेंगेन क्षेत्र का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- किस देश ने हाल ही में प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? – **यू.एस.ए.**
- किस देश ने हाल ही में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर सीमा निर्धारित करने के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम लागू किया है? – **दक्षिण अफ्रीका**
- भारत के किस बंदरगाह को देश की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा की मेजबानी करने की मंजूरी दी गई है? – **जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह**
- हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण-पूर्वी चीन को प्रभावित करने वाले तूफान का नाम क्या है? – **टाइफून गेमी**
- किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? – **भारत**